रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/6249

1. जावेद पिता जाकिर पटेल
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर
2. अमजद पिता जाकिर पटेल
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर
3. इरफान पिता जाकिर पटेल
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – कृषि
   निवासी – ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी,
विजय नगर क्षेत्र इन्दौर
—— प्रतिप्रार्थी

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 128/बी–121/16–17 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर /इंदौर/निगरानी/भूरा/2017/6249

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–12–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री हरीश सोलंकी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवालेकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अभी मात्र हल्का पटवारी को मय पंचनामा, फोटोग्राफ्स एवं राजस्व अभिलेख के साथ प्रतिवेदन सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है जो कि विधिक कार्यवाही है । उक्त कार्यवाही से आवेदक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	